

# कार्यालय      पुलिस      अधीक्षक      जनपद      गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 23/02/2026

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 22.02.2026 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा दुकान का ताला तोडकर चोरी करने वाले 03 नफर शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कासिमाबाद मय टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. मिथिलेश गुप्ता पुत्र त्रिलोकी 2. चन्दन बासफोर पुत्र दलचन्द निवासीगण ग्राम बड़ौरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर 3. फूलबदन चौहान पुत्र मुखू चौहान निवासी ग्राम इटऊ महादेवा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को पुर्वाचल एक्सप्रेस वे के नीचे बहद ग्राम सिधउत से गिरफ्तार किया गया । इन सभी के निशानदेही पर वादी मुकदमा के दुकान से चोरी किया गया 404 किलो गेहुँ बरामद भी किया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1. मिथिलेश गुप्ता पुत्र त्रिलोकी नि0 ग्राम बड़ौरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर
2. चन्दन बासफोर पुत्र दलचन्द नि0 ग्राम बड़ौरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर
3. फूलबदन चौहान पुत्र मुखू चौहान निवासी ग्राम इटऊ महादेवा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

## गिरफ्तारी का विवरण –

1.मु0अ0सं0 64/2026 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर में चोरी किया गया गेहूँ बरामदगी व 01 अदद आला नकब बरामदगी के होने के कारण।

## अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0सं0 64/2026 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

## **02. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 23/2026 धारा 75(2),64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.02.2026 को थानाध्यक्ष सुहवल मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2026 धारा 75(2),64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त सुनील बिन्द पुत्र विजयी बिन्द निवासी ग्राम चकिया उर्फ चकमजीठ थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर मेदनीपुर तिराहा थाना सुहवल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.सुनील बिन्द पुत्र विजयी बिन्द नि0ग्रा0 चकिया उर्फ चकमजीठ थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष।

## **03. थाना जमानिया पुलिस द्वारा 90 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रत्येक पाऊच 200ML कुल-19 लीटर) के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.02.2026 को उ0नि0 अश्वनी प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बरुईन नहर फाटक के पास से अभियुक्त विनय कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम गोराडीह पो0 ठाकुरा थाना रामगढ़ जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 90 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.विनय कुमार सिंह S/O गोपाल सिंह निवासी ग्राम गोराडीह पो0 ठाकुरा थाना रामगढ़ जिला कैमूर  
भभुआ बिहार उम्र 33 वर्ष ।

**बरामदगी -**

90 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम (प्रत्येक पाऊच 200ML कुल-19 लीटर )

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर